निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या : 125 /2016-17

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, नई टिहरी **द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।**

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, नई टिहरी **के माह** 04/2014 से माह 11/2016 तक के लेखा अभिलेखों का निरीक्षण श्री संदीप कुमार गर्ग, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री महेश चद्र, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 30.12.2016 से 10.01.2017 तक श्री अविनाश चन्द्र कटियार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

(ii) **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री खजान सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री श्रवण कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 15.04.2014 से 23.04.2014 तक श्री राकेश कुमार, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गई थी, जिसमें माह 08/2012 से 03/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2014 से 11/2016 तक के लेखा–अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-** इकाई द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारी, नई टिहरी के परिधि क्षेत्र में आने वाले समस्त ब्लॉक के बाल विकास एवं महिला को विकास करना है।

(iii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**			**गैर स्थापना**		
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**बचत/ आधिक्य**	**आवंटन**	**व्यय**	**बचत/ आधिक्य**
2013-14	Nil	Nil	1803.31	1601.84	201.47	1587.59	1513.18	74.41
2014-15	Nil	Nil	33.88	26.93	6.95	258.23	257.19	1.04
2015-16	Nil	Nil	25.18	18.85	6.33	284.33	12.39	271.94

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित **योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः**

(धनराशि ` लाख में)

क्र.सं.	योजना का नाम	2014-15			2015-16			2016-17		
		प्रा- अवशेष	प्राप्ति	व्यय	प्रा- अवशेष `	प्राप्ति	व्यय	प्रा- अवशेष `	प्राप्ति	व्यय
01	समान्वित बाल विकास योजना	शून्य	1095.62	996.58	शून्य	21.00	20.99	--	--	--
02	जिला स्तरीय स्टाफ व्यवस्था	शून्य	24.05	23.85	शून्य	27.86	26.53	--	26.49	20.32
03	किशोरी शक्ति योजना	शून्य	4.95	4.95	शून्य	--	--	--	--	--
04	आंगनबाड़ी प्रतिशण	शून्य	7.40	7.18	शून्य	--	--	--	--	--
05	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	शून्य	7.79	1.25	शून्य	9.20	9.20	--	0.06	0.02
06	सूचना शिक्षा तथा संचार	शून्य	10.77	10.34	शून्य	9.95	9.87	--	0.10	0.06
07	आईसीडीएस संरचना	शून्य	54.07	54.07	शून्य	24.00	24.00	--	--	--
08	परीक्षा सेवा मुख्यालय	शून्य	30.21	28.14	शून्य	24.38	23.43	--	0.30	--
09	भवन निर्माण	शून्य	22.50	22.50	शून्य	--	--	--	--	--
10	अ वा भवन निर्माण	शून्य	252.00	252.00	शून्य	--	--	--	--	--

(iii) **इकाई को बजट आवंटन** निदेशालय आई सी डी एस सुद्धोवाला, देहरादून द्वारा किया जाता है। **गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई** 'अ' **श्रेणी की है।** विभाग **का संगठनात्मक ढांचा निम्न प्रकार से है:-**

सचिव, बाल विकास–निदेशालय आई सी डी एस सुद्धोवाला, देहरादून, जिला कार्यक्रम अधिकारी, नई टिहरी।

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में** जिला कार्यक्रम अधिकारी, नई टिहरी **को आच्छादित किया गया।** समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किये जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, नई टिहरी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2015 एवं 03/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण कार्य सामग्री क्रय अभिलेख नंदा देवी एव किशोरी शक्ति योजना आदि का विश्लेषण किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो (ब)

प्रस्तर-1 नवीन आंगनवाड़ी केंद्र भवनों के निर्माण एवं पुराने आंगनवाड़ी केंद्र भवनों के उच्चीकरण को अपूर्ण रखते हुए ` 119.48 लाख की धनराशि को अवरुद्ध रखा जाना !

ज़िला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय टिहरी गढ़वाल के लेखा-अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में जनपद टिहरी गढ़वाल में 59 नवीन आंगनवाड़ी केंद्र भवनों के निर्माण एवं 09 पुराने आंगनवाड़ी केंद्र भवनों उच्चीकरण किए जाने के ` 274.50 लाख (` 4.50 लाख नवीन आंगनवाड़ी केंद्र हेतु एवं ` 1.00 लाख पुराने आंगनवाड़ी केंद्र हेतु) अवमुक्त की गयी थी !
उक्त धनराशि जनपद के सभी नौ विकास खंडों को मई 2015 में जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल द्वारा इस निर्देश के साथ अवमुक्त की गयी थी कि उक्त धनराशि प्राप्त होने की तिथि से तीन-चार माह के अंदर संबन्धित खंड विकास अधिकारी उक्त भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करेंगे !

जबकि संप्रेक्षा के दौरान पाया गया जनपद टिहरी गढ़वाल में 59 नवीन आंगनवाड़ी केंद्र भवनों के निर्माण एवं 09 पुराने आंगनवाड़ी केंद्र भवनों का उच्चीकरण किए जाने के सापेक्ष **संप्रेक्षा तिथि (जनवरी 2017) तक 53 नवीन आंगनवाड़ी केंद्र तथा 07 पुराने आंगनवाड़ी केंद्र भवनों के उच्चीकरण के कार्य संबन्धित खंड विकास अधिकारियों को धनराशि अवमुक्त किए जाने के एक वर्ष आठ माह की अवधि व्यतीत होनेके उपरांत भी अपूर्ण पड़े थे एवं इसके साथ-साथ ` 119.48 लाख की धनराशि भी विकास खंड स्तर पर उक्त अवधि में अवरुद्ध रखी गयी थी ! जबकि उक्त धनराशि जनपद के सभी नौ विकास खंडों को मई 2015 में जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल द्वारा इस निर्देश के साथ अवमुक्त की गयी थी कि उक्त धनराशि प्राप्त होने की तिथि से तीन-चार माह के अंदर संबन्धित खंड विकास अधिकारी उक्त भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करेंगे !**
उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर ज़िला कार्यक्रम अधिकारी, टिहरी गढ़वाल द्वारा अपने उत्तर में अवगत कराया गया कि शीघ्र ही उक्त अपूर्ण नवीन आंगनवाड़ी केंद्र भवनों का निर्माण एवं पुराने आंगनवाड़ी केंद्र भवनों के उच्चीकरण के कार्यों को पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा ! इकाई का उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि जो निर्माण कार्य तीन से चार माह की अवधि में पूर्ण किए जाने थे वे निर्माण कार्य संबन्धित खंड विकास अधिकारियों को धनराशि अवमुक्त किए जाने के एक वर्ष आठ माह की अवधि व्यतीत होने के उपरांत भी अपूर्ण पड़े थे एवं इसके साथ-साथ ` 119.48 लाख की धनराशि भी विकास खंड स्तर पर उक्त अवधि में अवरुद्ध रखी गयी थी !
अतः अपूर्ण कार्यों के साथ-साथ ` 119.48 लाख की धनराशि को विकास खंड स्तर अवरुद्ध रखे जाने संबंधी प्रकरण को **प्रकाश में लाया जाता है !**

भाग दो (ब)

प्रस्तर-2 नन्दा देवी कन्या योजना 'हमारी कन्या हमारा अभिमान' योजना के अंतर्गत कुल 6050 लाभार्थियों को ` 15000/- की दर से कुल ` 907.50 लाख का भुगतान किया जाना लंबित रहना !

शासनादेश संख्या 1945/XVII(4)/14(09)/TC/ दिनांक-01.10.2014 के अनुसार राज्य सहायतित "नन्दा देवी कन्या योजना - हमारी कन्या हमारा अभिमान" योजना के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य के वे समस्त निवासी योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे जिनके परिवार में 01 जनवरी 2009 के बाद दो जीवित कन्याओं ने जन्म लिया हो तथा वे योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने की समस्त शर्तें पूर्ण करते हों चाहें इसके पूर्व उनकी अन्य जीवित सन्तानें भी हों ! उक्त योजना का लाभ उन्हीं कन्याओं को प्रदान किया जाना था जिनका जन्म सरकारी अस्पताल/मातृ एवं शिशु केंद्र/ए.एन.एम./प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी के द्वारा कराया गया हो !

उक्त योजना के अंतर्गत 01 अप्रैल 2014 के उपरांत प्रथम बार लाभान्वित होने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले बी.पी.एल. परिवारों/ ऐसे परिवारों जिनकी ग्रामीण क्षेत्र में आय ` 36000/- प्रतिवर्ष या नगरीय क्षेत्र में ` 42000/- प्रतिवर्ष हो, की कन्याओं को आर्थिक सहायता के रूप में ` 15000/- की धनराशि प्रदान की जाएगी ! 01 जनवरी 2009 के उपरांत पैदा हुई बालिकाओं जिनको पूर्व में योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जा चुका है उन्हें कोई अतिरिक्त धनराशि नहीं प्रदान की जाएगी !

योजना के अंतर्गत जन्म लेने वाली कन्या को प्रथम किस्त के रूप जन्म के उपरांत उसके अभिभावक द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के अधिकतम एक माह के अंदर ` 5000/- की धनराशि कन्या के अभिभावक को अकाउंट पेयी चेक के माध्यम से प्रदान की जाएगी ! शेष ` 10,000/- की धनराशि कन्या के माता-पिता के नाम से सयुंक्त रूप से 10 वर्ष के लिए सावधि जमा के रूप में जमा कर दी जाएगी ! योजना की द्वितीय किस्त 10 वर्ष की आयु के उपरांत पुनः कन्या की माता के खाते में ई-ट्रान्सफर के माध्यम से ` 5000/- की धनराशि हस्तांतरित की जाएगी ! अंतिम किस्त बालिका की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने पर व्याज सहित शेष धनराशि हाईस्कूल में अध्यनरत होने तथा अविवाहित होने की दशा में प्रदान की जाएगी !

संप्रेक्षा के दौरान पाया गया कि वर्ष 2014-15 से 2016-17 (माह दिसंबर 2016 तक) तक की अवधि में उक्त योजना के अंतर्गत कुल प्राप्त 10,502 आवेदनों के सापेक्ष मात्र 4,452 लाभार्थियों को ही उक्त योजना के तहत ` 15000/- की दर से ` 664.80 लाख का भुगतान किया जा सका था ! इस प्रकार संप्रेक्षा तिथि (जनवरी 2016) पर कुल 6,050 लाभार्थियों को ` 15000/- की दर से कुल ` 907.50 लाख का भुगतान किया जाना लंबित था !

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि वांछित धनराशि की मांग किए जाने के उपरांत भी वांछित धनराशि वर्तमान तक उपलब्ध नहीं कराई गयी जिसके परिणामस्वरूप ही 6,050 लाभार्थियों को ` 15000/- की दर से कुल ` 907.50 लाख का भुगतान किया जाना लंबित है ! इकाई के उत्तर से स्वतः ही स्पष्ट है कि

विभागीय उदासीनता के कारण ही 6,050 लाभार्थी उक्त योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ से वंचित थे!

अतः विभागीय उदासीनता के कारण 6,050 लाभार्थियों को ` 15000/- की दर से कुल ` 907.50 लाख का भुगतान लंबित होने संबंधी प्रकरण को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है!

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 3 : किशोरी शक्ति योजना का क्रियान्वयन समुचित रूप से न किया जाना तथा धनराशि ` 13.12 लाख अवरूद्ध रखा जाना।

11–18 वर्ष की किशोरियों के स्वास्थ्य तथा पोषण स्तर में सुधार तथा उनमें गृह आधारित एवं कौशल विकास, साक्षरता, व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के उपरान्त उन्हे विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं जैसे इंदिरा महिला समेकित विकास योजना इत्यादि से जोड़ने हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 में 'किशोरी शक्ति योजना' की शुरूआत की गयी थी।

योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा योजना के क्रियान्वयन की रूपरेखा तैयार करके योजना का संचालन किया जाना था।

जिला कार्यक्रम अधिकारी, टिहरी गढ़वाल के योजना से संबंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2014–15 तक योजनान्तर्गत धनराशि ` 29.25 लाख आवंटित की गयी थी, जिसमें से जिला कार्यक्रम अधिकारी, टिहरी गढ़वाल द्वारा धनराशि ` 3,08,290.00 शासन को समर्पित की गयी थी तथा इन चार वर्षों में मात्र ` 81,710.00 धनराशि योजनान्तर्गत व्यय की गई। इस प्रकार अवशेष धनराशि ` 24.35 लाख थी। अभिलेखों की आगे जांच में पाया गया कि जनपद में 11–18 वर्ष 42955 किशोरियों के सापेक्ष मात्र 41 किशोरियों का व्यावसायिक प्रशिक्षण दो बैचों में (प्रथम बैच 21 व द्वितीय बैच में 20 किशोरियों) वर्ष 2015–16 में दिया गया एवं इनके प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण देने वाली संस्था को धनराशि ` 5,20,800.00 भुगतान की गयी। प्रशिक्षण देने वाली संस्था की इनके प्रशिक्षण के उपरान्त किशोरियों के प्लेसमेंट की व्यवस्था करनी थी। प्रथम बैच में प्रशिक्षित 21 किशोरियों में से किसी का भी प्लेसमेंट नहीं हुआ जबकि द्वितीय बैच में प्रशिक्षित 20 किशोरियों में से मात्र 5 का प्लेसमेंट हो सका।

वित्तीय वर्ष 2016–17 तक (जून 2016 तक) योजनान्तर्गत धनराशि ` 13.12 लाख विगत वर्षों की अवशेष थी। दिनांक 27.06.2016 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि अवशेष धनराशि किशोरियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण दिये जाने पर व्यय की जाये परन्तु लेखापरीक्षा तिथि तक किसी भी किशोरी को प्रशिक्षण नहीं दिया गया था, जो कि योजना के प्रति विभागीय उदासीनता को परिलक्षित करता है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि जनपद के अंदर संचालित 09 विकासखण्डों में स्कूल छोड़ चुकी 171 किशोरियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण दिये जाने हेतु चयन कर लिया गया है। प्रशिक्षण शीघ्र प्रारम्भ किया जायेगा।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अभी किशोरियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण दिये जाने हेतु एन.जी.ओ. /संस्थाओं का चयन ही नहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त विभाग वित्तीय वर्ष 2011–12 से 2014–15 की अवधि में आवंटित धनराशि का उपयोग नहीं कर सका। फलस्वरूप धनराशि ` 13.12 लाख लेखापरीक्षा तिथि तक अवशेष थी, जोकि योजना के क्रियान्वयन के प्रति विभागीय शिथिलता का परिलक्षित करती है।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 4 : रू0 33.28 लाख की सामग्री का अनियमित क्रय।

अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अध्याय दो के बिन्दु 13 यह प्रावधान (जून 2015 से पूर्व) है कि रू0 25 लाख तथा उससे अधिक की अनुमानित लागत की अधिप्राप्ति के लिए कम से कम दो व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय समाचार–पत्रों में विज्ञापन द्वारा निविदा आमंत्रित की जाने का प्रावधान है।

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, नई टिहरी के क्रय/आपूर्ति सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि परियोजनाओं के प्रयोग हेतु निम्न सामग्री क्रय की गयी जो कि रू0 25 लाख से अधिक की थी का क्रय अल्पकालीन निविदाओं के माध्यम से किया गया विवरण निम्न है :

(धनराशि लाख में)

क्र.सं.	फर्म का नाम	अनुबंध की तिथि	सामग्री के आपूर्ति हेतु आवंटन धनराशि	फर्म को भुगतान की गयी राशि
01	मैसर्स हाईटेक कम्यूनिकेशन, देहरादून	24.02.15	37.50	33.28

इस प्रकार उक्त तालिका के अनुसार सामग्री के आपूर्ति पर एक बार में रू0 25 लाख से अधिक व्यय किया गया था। जिसके लिए प्रक्योरमेंट नियमावली के अनुसार अधिप्राप्ति के लिए कम से कम दो व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय समाचार–पत्रों में विज्ञापन द्वारा आमंत्रित किये जाने का प्रावधान था। जिसका अनुपालन इकाई द्वारा नहीं किया गया एवं अल्पकालीन निवदायें आमंत्रित करते हुए क्रय/आपूर्ति की गई जो कि प्रक्योरमेंट नियमावली 2008 के नियमों के विरूद्ध था। अतः इकाई स्तर पर विगत वर्षों में ली गई आपूर्ति प्रोक्योरमेंट नियमावली 2008 के प्रावधानों के अनुरूप न करते हुए रू0 33.28 लाख अनियमित रूप से व्यय की गई। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई ने कहा कि नियमावली के अनुसार निविदायें आमंत्रित कर आपूर्ति लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। इकाई के उत्तर से लेखापरीक्षा आपत्ति की स्वतः पुष्टि हेाती है।

अतः रू0 33.28 लाख की सामग्री आपूर्ति में प्रक्योरमेंट नियमावली का अनुपालन न किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या**	**भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या**	**STAN**
55/2012-13	----	01	----
08/2014-15	––	02	02

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
55/2012-13	IIB-01	अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या के संबंध में इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि अनुपालन आख्या तैयार कर उच्चाधिकारियों की संस्तुति के साथ महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।		
08/2014-15	IIB-03			

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन किया जाय)

..... शून्य .....

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, नई टिहरी तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः-** शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्रीमती भारती तिवारी, 01.04.14 से 21.11.14	जिला कार्यक्रम अधिकारी, नई टिहरी
2	श्री विक्रम सिंह, 22.11.14 से अद्यतन	जिला कार्यक्रम अधिकारी, नई टिहरी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, नई टिहरी को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या इस पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय-महालेखाकर (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, देहरादून को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)